

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -- 1636 / 2013 / अजमेर.

मैसर्स धीरज एन्टरप्राइजेज,
रामनेर रोड़ बायपास, मदनगंज-किशनगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28 / 06 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 96 / 12-13 / वैट / किशनगढ़ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.07.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से एम.एस.स्क्रेप का परिवहन किया जा रहा था, परन्तु माल के साथ वांछित दस्तावेजों में घोषणा पत्र वैट-47 संलग्न नहीं पाये जाने के कारण जांच अधिकारी ने वैट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील ~~अपीलीय~~ अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जो माल खरीदकर लाया जा रहा था वह माल एम.एस. ब्लेड्स थी जो कि मार्बल की कटिंग के काम में ली जाती है अतः इस माल पर घोषणा पत्र वैट-47 की परिवहन के समय आवश्यकता नहीं थी एवं यह भी कथन किया कि उनके द्वारा भूल से बिल में एम.एस. ब्लेड की जगह एम.एस. स्क्रेप ब्लेड्स लिख दिया गया।


 लगातार.....2

उन्होंने कथन किया कि विक्रेता व्यवहारी ने बाद में यह प्रमाण-पत्र भी दिया था कि तकनीकी एवं प्रिंटिंग गलती की वजह से उनके बिल में एम.एस.स्क्रेप ब्लेड्स लिख दिया गया, बल्कि यह Mild Steel Blade थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रमाण-पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया एवं इसे एम.एस.स्क्रेप मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया जबकि यह माल एम.एस. स्क्रेप न होकर एम.एस. ब्लेड थी जो अधिसूचित श्रेणी का माल नहीं होने से घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता नहीं थी। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एम.एस.ब्लेड का कार्य नहीं किया जाकर मार्बल पत्थर के क्रय-विक्रय का ही कार्य किया जाता है।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्पष्ट रूप से एम.एस.स्क्रेप का ही आयात किया गया था एवं वह ब्लेड्स के रूप में माल न होकर स्क्रेप के रूप में ही माल लाया गया था जिसका बिल भी एम.एस.स्क्रेप का ही बनाया हुआ था। उन्होंने यह भी कथन किया कि एम.एस. स्क्रेप ब्लेड्स के रूप में ही होने के बावजूद भी स्क्रेप के रूप में ही विक्रय किया गया था जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि इस माल की कीमत वजन में लिखते हुए स्क्रेप की रेट ही वसूल की गई है, अतः केवलमात्र शास्ति से बचाव के लिये विक्रेता ने प्रमाण-पत्र भी जारी किया जबकि अपीलार्थी द्वारा अभियोग स्थापित होने पर जारी किये गये नोटिस दिनांक 06.06.2012 में जो जवाब प्रस्तुत किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से यह जवाब दिया गया था कि वाहन में भरा माल एम.एस.स्क्रेप दस्तावेजों के साथ फॉर्म वैट-47 नहीं होने की गलती स्वीकार करते हैं एवं पेनल्टी एवं टैक्स जमा कराने को तैयार हैं, ऐसी स्थिति में धारा 76(2) की अवहेलना की गलती को स्वीकार करने के पश्चात् और किसी जांच की आवश्यकता नहीं रहती है, फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने योग्य होने से अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया।


5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि माल का क्रय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एम.एस.स्क्रेप ब्लेड्स के रूप में ही किया गया था जो ब्लेड्स का स्क्रेप था, जिसका विक्रय मूल्य भी वजन के आधार पर प्रति किग्रा. 32/- रुपये लिखा हुआ है जो सामान्य व्यापार क्रम में स्क्रेप की ही रेट है, अतः यह माल जैसा कि अपीलार्थी व्यवहारी का तर्क है कि वह स्क्रेप न होकर आयरन ब्लेड्स है तो

 लम्मतार.....3

उस स्थिति में विक्रय मूल्य स्क्रैप के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस के जवाब में व्यवहारी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए शास्ति एवं कर जमा कराने की सहमति प्रदान की गयी है, ऐसी स्थिति में और किसी जांच की आवश्यकता नहीं रहती है एवं इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, जालौर में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2009 [(2009) 25 Tax Update 20] के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं होने से आरोपित किया गया कर एवं शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित थी जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य